

बयिाडा की ज़मीन 80 फीसदी तक ससूती

चर्चा में क्यों?

19 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बहिर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधकिरण (बयिाडा) की ज़मीन की लीज़ राशापर 20 से 80 फीसदी तक छूट देने का फैसला लिया गया । इससे बहिर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मलिंगा और नविश बढ़ेगा ।

प्रमुख बदि

- बहिर कैबिनेट वभिाग के अपर मुख्य सचवि एस. सदधिारथ ने बैठक के बाद कहा कबयिाडा उद्यमयिों को उद्योग लगाने के लयि ज़मीन 90 साल तक लीज़ पर देता है । अभी ज़मीन का रेट एमवीआर के आधार पर है ।
- अब राज्य सरकार बहिर के 54 औद्योगिक क्षेत्रों में ज़मीन की लीज़ पर 20 से 80 फीसदी तक की छूट देगी । सरकार के इस कदम से उद्यमयिों को उद्योग लगाने के लयि ससूती दर पर ज़मीन मलि सकेगी । इससे राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा मलिंगा और नविश आने से आर्थिक विकास होगा ।
- वर्तमान में राज्य में बयिाडा के 74 औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत हैं । बंद पड़ी चीनी मलिों की 2900 एकड़ ज़मीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में वकिसति करने के लयि बयिाडा को ट्रांसफर की गई है ।
- जानकारी के अनुसार, जनि ज़लिों में बयिाडा की ज़मीन के एमवीआर पर 80 फीसदी छूट दी गई है, उनमें गोपालगंज का हथुआ फेज़ एक और दो, सविान का न्यू सविान फेज़ एक और दो, औरंगाबाद, रोहतास का बकिरमगंज क्षेत्र, बक्सर का डुमरांव, गया ज़लि का गुरारू, मुंगेर ज़लि का जमालपुर और मुंगेर क्षेत्र, पश्चिमि चंपारण का रामनगर, मधुबनी का झंझारपुर, मधेपुरा का उदाकशुिनगंज और मुरलीगंज, सहरसा ज़लि का सहरसा क्षेत्र और नालंदा ज़लि का बहिरशरीफ क्षेत्र शामिल हैं ।
- इसी प्रकार जनि ज़लिों में बयिाडा की ज़मीन के एमवीआर में 60 फीसदी तक छूट दी गई है, उनमें पश्चिमि चंपारण का बेतयिा, रोहतास का डेहरी, भोजपुर का बहियिा, जहानाबाद, बहिटा, सविान, मधुबनी ज़लि का सकरी, सीतामढ़ी, दरभंगा का धरमपुर, कटहिर और कशिनगंज का खगरा क्षेत्र शामिल हैं ।
- इसके अलावा भागलपुर का बरारी, पूरणयिा का बनमनखी, पूरणयिा सट्टी, दरभंगा का दोनार और बेला, पूरवी चंपारण का रक्सौल, वैशाली का हाज़ीपुर, बारूण व औरंगाबाद, बक्सर और लखीसराय में 40 फीसदी तक छूट मलिंगी ।
- पूरणयिा का मरंगा, अररयिा का फारबसिगंज, मधुबनी का लौहट फेज़ एक, दो और तीन, पूरवी चंपारण का सुगौली, मुज़फ्फरपुर और कोररा, वैशाली का गोरौल फेज एक और दो, हाज़ीपुर, पटना ज़लि का फतुहा, पाटलपुत्र, बक्सर का नवानगर, नवादा का वारसलीगंज, मुंगेर ज़लि का सीताकुंड और खगड़यिा ज़लि के खगड़यिा औद्योगिक केंद्र की ज़मीन पर 20 फीसदी छूट मलिंगी ।